राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14095/2020

जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार श्री डीके माथुर जयपुर-आगरा बाईपास, न्यू आरटीओ कार्यालय के पास, जगतपुरा, जयपुर-302017 के माध्यम से।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, 127-सी शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अपने सचिव, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002 के माध्यम से।
3. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, पोस्ट बॉक्स संख्या : 10502, आईयूएसी कैंपस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली-110067

---- प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री के.के. शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ऋषभ खंडेलवाल अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री कीर्ति कपूर, अधिवक्ता, श्री मनोज रंजन सिन्हा, अधिवक्ता, श्री नीरज बत्रा और श्री रवींद्र पाल सिंह अधिवक्ता के साथ।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश श्री मणीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

29/09/2022

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मणींद्र मोहन श्रीवास्तव

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 (संक्षेप में '2020 के विनियम') के विनियमन 3 (क) के दूसरे परंतुक की वैधता को उस सीमा तक प्रतिबंधित करना चाहता है जहां तक कि यह जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) के लिए पात्रता मानदंड के रूप में 29.02.2020 को या उससे पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (संक्षेप में 'एन.ए.ए.सी.') को आवेदन प्रस्तुत करने की शर्त निर्धारित करता है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि उपरोक्त सीमा तक उपरोक्त परंतुक को असंवैधानिक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (संक्षेप में '1956 का अधिनियम') के अनुसार अधिकारातीत और इसके परिणामस्वरूप, शून्य, अवैध और अमान्य घोषित किया जाए।

याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को अगले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) पाठ्यक्रम चलाने और संचालित करने की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थीगण को रिट या निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

2. इस याचिका में, शुरू में 25.08.2021 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को सत्र 2021-22 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन प्रोग्राम पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में 'यू.जी.सी.') को निर्धारित प्रारूप में ऑफ़लाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई थी, साथ ही यह निर्देश भी दिया गया था कि यूजीसी द्वारा आवेदन पर विचार विद्यमान विनियमों के अनुसार किया जाएगा, और 2020 के विनियमों के विनियम 3 (क) के लागू आक्षेपित दूसरे परंतुक को देखते हुए और याचिकाकर्ता के मौजूदा एन.ए.ए.सी. स्कोर के कारण 29.02.2020 तक एन.ए.ए.सी. को आवेदन न कर पाने के कारण से इसे खारिज नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अंतरिम आदेश द्वारा, यह भी निर्देश दिया गया था कि चूंकि यूजीसी ने 15.12.2021 तक प्रवेश के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की है, इसलिए एनएएसी

समय पर मान्यता के आवश्यक स्कोर देने के लिए याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगा ताकि आगे की जटिलताओं और कठिनाइयों से बचा जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति/अनुमोदन को रिट याचिका के परिणाम का विषय बनाया गया था।

3. जब यह मामला 08.12.2021 को इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, तो यूजीसी द्वारा अधिमान्य किए गए अंतरिम आदेश को खारिज करने के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रत्यर्थी-यूजीसी ने स्थगन आदेश को खारिज करने के आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील (सी) संख्या 20769-20770/2021 के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर की और दिनांक 17.12.2021 के आदेश के तहत, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका में पारित 25.08.2021 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एनएएसी विशेष अनुमति याचिका के लंबित होने के संदर्भ के बिना प्रत्यायन के लिए निरीक्षण कर सकता है।

4. हालांकि, जुलाई, 2020 से शुरू होने वाला शैक्षणिक सत्र 2020-21 समाप्त हो गया है, लेकिन शुरुआत में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह याचिका अकादमिक है क्योंकि अगर याचिकाकर्ता सफल भी होता है, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई प्रभावी निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय से इस मुद्दे पर निर्णय करने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय पर बाद के शैक्षणिक सत्रों में इस आधार पर पाठ्यक्रम आयोजित करने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है कि यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) पाठ्यक्रम चलाने के लिए 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन जमा करने के यू.जी.सी. के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा था और इसलिए, ऐसी घोषणा आवश्यक होगी कि 2020 के विनियमों के विनियमन 3 (क) का लागू आक्षेपित दूसरा परंतुक विधि में अनुचित था और ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती थी और आगे मौजूदा एनएएसी दिशानिर्देशों के तहत, याचिकाकर्ता 29.02.2020 के बाद भी सुधार के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने का पात्र था।

5. याचिकाकर्ता-जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के

तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय है और जैसा कि अनुरोध किया गया है, एक स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय है जो नियमित, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित कई विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पास एनएएसी द्वारा उसके पक्ष में जारी प्रत्यायन प्रमाणपत्र (रिट याचिका के साथ संलग्न अनुबंध-1) के तहत 01.05.2015 से 30.04.2020 तक एनएएसी मान्यता थी। जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों की पेशकश के लिए यूजीसी द्वारा पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई.) से दिनांक 01.11.2019 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से नए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय ने जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसमें लागू नियमों के तहत पात्र होने का दावा किया गया था। यूजीसी द्वारा 31.01.2020 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) एनएएसी द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए सामान्य विश्वविद्यालय मैनुअल या दोहरी मोड विश्वविद्यालय मैनुअल का विकल्प चुन सकते हैं। याचिकाकर्ता को एक बार के उपाय के रूप में वर्तमान मान्यता अवधि को कम करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, जनरल यूनिवर्सिटी मैनुअल या ड्यूल मोड यूनिवर्सिटीज मैनुअल में आवेदन करने और मान्यता के संक्षिप्त समापन की उक्त छूट जून, 2020-21 तक लागू थी और उसके बाद, याचिकाकर्ता ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी मैनुअल में आवेदन कर सकता था।

6. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि एनएएसी ने 03.02.2020 को अधिसूचना जारी की, जिसमें वैध प्रत्यायन प्राप्त सभी दोहरे मोड विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया कि वे 29.02.2020 को या उससे पहले अपनी प्रत्यायन अवधि को समाप्त करके गुणवत्ता मूल्यांकन (आईआईक्यूए)/स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) के लिए संस्थागत जानकारी ऑनलाइन जमा करके एन.ए.ए.सी. द्वारा मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 06.02.2020 के मेल के उत्तर में, याचिकाकर्ता ने 10.02.2020 को शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।

7. यह भी अनुरोध किया गया है कि कोविड-19 महामारी के अचानक प्रकोप और अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण, जिसके कारण 23.03.2020 को लॉकडाउन घोषित किया गया था, यू.जी.सी. ने अपने दिनांक 30.06.2020 के पत्र के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता के लिए 01.12.2019 को शुरू की गई आवेदन प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

04.09.2020 को, नियमों का नया सेट अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 अधिसूचित किया गया। 2020 के विनियमों के विनियमन 3 ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के तहत कार्यक्रमों की पेशकश के लिए संस्थागत स्तर की पात्रता मानदंड निर्धारित किए। यह अपेक्षित किया गया कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा 4-पॉइंट स्केल पर न्यूनतम 301 अंक प्राप्त करने अथवा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 में एनएएसी रैंक प्राप्त करने की शर्त को पूर्ववर्ती दो वर्षों में कम-से-कम एक बार पूरा करना होगा। उपरोक्त विनियमन के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व परिस्थितियों के मद्देनजर, यूजीसी.द्वारा मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) शैक्षणिक सत्र 2019-2020 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए पहले से मान्यताप्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश एक वर्ष की अवधि के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड में, अर्थात, जुलाई 2020 से शुरू होने शैक्षणिक सत्र 2020- 2021 में इस शर्त के अधीन जारी रखने के पात्र होंगे कि ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) ने इस आशय का वचन प्रस्तुत करना होगा कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एनएएसी स्कोर प्राप्त करेंगे और 29.02.2020 तक एनएएसी को आवेदन भी जमा कर देंगे।

याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा जारी 14.08.2018 और 24.10.2018 के आदेशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए एक उच्च शैक्षणिक संस्थान (एचईआई) के रूप में मान्यता दी गई थी (अनुलग्नक -11 सामूहिक रूप से रिट याचिका के साथ संलग्नक)। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दोनों आदेशों में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि चूंकि एचईआई,

एनएएसी स्कोर 3.26 से नीचे है, इसलिए दी गई मान्यता यू.जी.सी. ओ.डी.एल. द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के आधार पर केवल शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 तक है।

8. 2020 के विनियमों के अनुसरण में, यू.जसी ने 12.10.2020 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसके तहत, कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को केवल उन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता जारी रखी गई थी, जो पहले से ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए मान्यता प्राप्त थे। हालांकि, याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय का नाम एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता जारी रखने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) की पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया था। जाहिर है, पात्र एचईआई की सूची में याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय को शामिल नहीं किया जाना 2020 के विनियमों के विनियमन 3 (क) के दूसरे परंतुक के मद्देनजर था क्योंकि याचिकाकर्ता ने 29.02.2022 को या उससे पहले आवेदन जमा नहीं किया था। इसने याचिकाकर्ता को इस याचिका को दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बनाया, जिसमें आक्षेपित परंतुक की वैधता को चुनौती दी गई थी।

9. याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 2020 के विनियम 3 (क) के दूसरे परंतुक में पहले से ही यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) के लिए जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए कार्यक्रम संचालित करने के पात्रता मानदंड हैं, जो स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 06.09.2018 को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) तीसरे संशोधन विनियम, 2018 में प्रदान की गई मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने 10.02.2020 को वैधानिक नियमों के अनुसार एक शपथ-पत्र विधिवत प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता को एन.ए.ए.सी. मैनुअल के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में, 30.04.2020 और उसके बाद 30.04.2021 तक, एनएएसी में आवेदन करने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन जमा न करने पर याचिकाकर्ता को एक गैर-अनुपालक संस्थान के रूप में वर्गीकृत

करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन 2020 के विनियमों के विनियम 3 (क) के आक्षेपित दूसरे परंतुक में 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन जमा करने की स्पष्ट रूप से मनमानी शर्त को शामिल किया गया है जिसका प्रभाव याचिकाकर्ता के निहित और अर्जित अधिकार को पूर्वव्यापी रूप से छीनना है। उनका तर्क है कि इस तरह का प्रावधान करके, याचिकाकर्ता के प्रति पूरी तरह से पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए 2020 के विनियमों को इसकी घोषणा से बहुत पहले की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, जो धारा 26, उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के विपरीत है। 1956 के अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि विनियम बनाने की शक्ति में 1956 के अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले की तारीख से विनियमों या उनमें से किसी को भी पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल है, लेकिन वही इस शर्त से घिरा है कि किसी भी विनियमन पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिस पर ऐसा विनियमन लागू हो सकता है। उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, यह कहा गया है कि एनएएसी, जो कि यूजीसी की सहायता के लिए कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था है, ने शैक्षणिक सत्र के अंत तक, अर्थात 30.06.2020 तक आवेदन जमा करने की अनुमति दी थी और वही था इसे एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिसे यूजीसी द्वारा याचिकाकर्ता को इस आधार पर अयोग्य ठहराते हुए आक्षेपित दूसरे प्रावधान को शामिल करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है कि वह 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन जमा करने में विफल रहा था।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलील का अगला भाग यह है कि 29.02.2020 तक एन.ए.ए.सी. को आवेदन जमा करने के दूसरे आक्षेपित परंतुक के माध्यम से प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्धारित शर्त भी एनएएसी मैनुअल/दिशा-निर्देशों के विपरीत है। एनएएसी के दिशा-निर्देश आवेदन करने के लिए एक वर्ष की अवधि तक की विंडो प्रदान करते हैं और चूंकि याचिकाकर्ता संस्थान के पास 30.04.2020 तक एन.ए.ए.सी. मान्यता थी, इसलिए इसका प्रत्यायन प्रमाणपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए वैध बना रहा, भले ही उसने 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन न किया हो। इसलिए, 29.02.2020 तक एनएएसी को आवेदन करने की ऐसी शर्त अपने आप में एनएएसी मैनुअल का उल्लंघन है, जो यूजीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की अगली दलील यह है कि आक्षेपित दूसरे परंतुक को

प्रस्तुत करने का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को छूट और राहत प्रदान करना था, जिन्हें इस अवधि में, कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व स्थिति के कारण, निर्धारित सीमा के भीतर यू.जी.सी. विनियमों के तहत आवश्यक एनएएसी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सका। लेकिन शपथ-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका थी और यूजीसी ने पहले ही अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया था, मान्यता के लिए आवेदन बंद कर दिए गए थे, एन.ए.ए.सी. ने उचित स्कोर प्रदान करने के लिए निरीक्षण करने में असमर्थता व्यक्त की थी। अतः 29.02.2022 को या उससे पहले आवेदन जमा करने में विफलता के आधार पर ऐसी कठोर शर्त, जो सामान्य परिस्थितियों में आवेदन जमा करने से भी पहले थी, और यह लागू आक्षेपित दूसरे परंतुक के तहत शिथिल मानदंड प्रस्तुत करने के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। इस प्रकार, परंतुक ने एक ओर, कुछ छूट प्रदान की और दूसरी ओर, इसे छीन लिया गया, जिससे स्पष्ट मनमानी से परंतुक प्रभावित हुआ और इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

12. यह भी कहा गया है कि 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन करने के आधार पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) का वर्गीकरण काल्पनिक है और इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है क्योंकि किसी भी मामले में वे संस्थान, जिन्होंने 29.02.2020 से पहले आवेदन किया था और जो संस्थान कट ऑफ तिथि पर या उससे पहले आवेदन करने में विफल रहे, उनमें से किसी को भी शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के अंत तक, अर्थात 30.06.2020 तक एनएएसी की एजेंसी के माध्यम से निरीक्षण और मान्यता प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा नहीं थी। इसलिए, इस आधार पर किया गया वर्गीकरण, जिसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, यह भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

13. उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बेजगाम वीरन्ना वेंकट नरसिमलू एवं अन्य बनाम ए.पी. राज्य और अन्य, (1998) 1 एससीसी 563; महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स (पी) लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2006) 3 एससीसी 620; तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम पी. कृष्णमूर्ति एवं अन्य (2006) 4 एससीसी 517; जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एवं अन्य बनाम डॉ. सुभाष चंद्र यादव एवं अन्य (1988) 2 एससीसी 351; उ.प्र. राज्य एवं अन्य बनाम दौलत राम गुप्ता (2002) 4 एससीसी 98; एस.वी.आर. मुदलियार (मृत) एलआर द्वारा एवं अन्य बनाम राजाबू एफ.

बुहारी (श्रीमती) (मृत) एलआर द्वारा एवं अन्य (1995) 4 एससीसी 15; और सारा मैथ्यू बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर डिजीज के निदेशक डॉ. के.एम. चेरियन एवं अन्य (2014) 2 एससीसी 62 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

इस दलील के समर्थन में कि भले ही 2020-21 की अवधि समाप्त हो गई है, बाद के पाठ्यक्रमों के संबंध में राहत को ढालकर उचित राहत दी जा सकती है, ताकि मुकदमेबाजी की बहुलता से बचा जा सके, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पसुपुलेटि वेंकटेश्वरलु बनाम द मोटर एंड जनरल ट्रेडर्स, एआईआर 1975 एससी 1409; रमेश कुमार बनाम केशो राम 1992 सप्प (2) एससीसी 623 और महाराष्ट्र के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2019) 20 एससीसी 511 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया ।

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-यूजीसी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, याचिका में मांगी गई राहत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 2020 के विनियमों के विनियम 3 (क) का आक्षेपित दूसरा परंतुक ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) के मामलों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो समय-समय पर यूजीसी द्वारा जारी विभिन्न विधिक आवश्यकताओं और निर्देशों का अनुपालन करते थे और 29.02.2020 को या उससे पहले मान्यता के लिए आवेदन जमा कर चुके थे और याचिकाकर्ता की तरह गैर-अनुपालन संस्थानों द्वारा उक्त परंतुक के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता था, जिसने बार-बार अवसर देने के बावजूद 29.02.2020 को या उससे पहले मान्यता के लिए कोई आवेदन जमा नहीं किया। उनका कहना था कि यूजीसी के पत्र दिनांक 14.08.2018 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूंकि एचईआई एन.ए.ए.सी. स्कोर 3.26 से कम था, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के अनुसार मान्यता केवल शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2019-20 तक दी जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे संशोधन ने पहली बार यह उच्चतर प्रावधान किया है कि शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) के पास 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 के न्यूनतम स्कोर के साथ एन.ए.ए.सी. से वैध मान्यता होनी चाहिए, हालांकि यह प्रावधान किया गया कि उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई), जिन्हें पहले शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थीको एन.ए.ए.सी. स्कोर

की निर्धारित गुणवत्ता तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण यह था कि उसके बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) तीसरा संशोधन विनियम, 2018, जिसे 06.09.2018 से लागू किया गया था, स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने वाले उच्च शैक्षणिक संस्थान (एचईआई) को इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वह जुलाई 2019-जून 2020 के शैक्षणिक सत्र के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एनएएसी स्कोर प्राप्त कर लेगा, ऐसा न करने पर आयोग मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से कार्यक्रम के लिए अनुमोदन नहीं देगा। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि याचिकाकर्ता ने, विनियमों के तहत ऐसी विधिक आवश्यकता से पूरी तरह अवगत होने के कारण, विधिवत एक वचन/शपथ-पत्र प्रस्तुत किया कि वह जुलाई 2019-जून 2020 के शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले 3.26 एनएएसी स्कोर प्राप्त करेगा, ऐसा न होने पर वह 2020-2021 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड के तहत कार्यक्रमों के प्रत्यायन के लिए यूजीसी द्वारा अपने आवेदन/प्रस्ताव पर विचार करने पर जोर नहीं देगा। चूंकि याचिकाकर्ता के पास 3.26 का आवश्यक एनएएसी स्कोर नहीं था और यदि वह अगले शैक्षणिक सत्र, अर्थात 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों को जारी रखने का इच्छुक था, तो वह 29.02.2020 को या उससे पहले कानून के तहत प्रत्यायन के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य था। उन्होंने तर्क दिया कि यू.जी.सी. ने उन सभी मामलों में, जहां उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) का मान्यता स्कोर 3.26 से कम था, उन्हें 29.02.2020 को या उससे पहले मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए सूचित किया था। चूँकि याचिकाकर्ता के पास केवल 2.28 का प्रत्यायन प्रमाण-पत्र था, जो 30.06.2020 तक वैध था, उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्यायन के लिए आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके लिए याचिकाकर्ता और सभी समान रूप से स्थित उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) को समय-समय पर विस्तार देकर बार-बार अवसर दिए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे दायर नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि एन.ए.ए.सी. को आवेदन की तारीख से लेकर एन.ए.ए.सी. स्कोर प्रदान होने तक लगभग चार से छह माह लगते हैं और इसलिए, इसे प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ता को

29.02.2020 तक एन.ए.ए.सी. के समक्ष आवेदन करना चाहिए था जब कोई कोविड- 19 महामारी नहीं थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी आधार पर सामने आने में विफल रहा है, उसके नियंत्रण से परे किसी भी अक्षमता की तो बात ही छोड़िए, वह पत्र जारी होने के बावजूद वह 29.02.2020 को या उससे पहले मान्यता के लिए आवेदन क्यों जमा नहीं कर सका, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के बाद मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए गंभीर और इच्छुक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि न केवल यू.जी.सी., बल्कि एन.ए.ए.सी. ने भी याचिकाकर्ता को अपेक्षित एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नियमित रूप से सूचित किया था, लेकिन इन सबके बावजूद, याचिकाकर्ता, उन कारणों से, जो उसे ही पता हैं, चुप रहा और उसने आवेदन नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न निर्देशों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, एन.ए.ए.सी. ने एन.ए.ए.सी. स्कोर उन्नयन के लिए मान्यता की प्रक्रिया के संबंध में 18.12.2019 को कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय भी शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी, याचिकाकर्ता गैर-अनुपालनकारी रहा।

आगे यह कहा गया है कि यू.जी.सी. ने 2020 के विनियमों के आलोक में, केवल ऐसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को मान्यता प्रदान की है, जिनके पास 4-पॉइंट स्केल पर न्यूनतम एन.ए.ए.सी. स्कोर 3.01 है, जबकि याचिकाकर्ता के पास 01.05.2015 से केवल 2.28 का एन.ए.ए.सी. स्कोर था और यदि याचिकाकर्ता 3.01 का अपेक्षित स्कोर प्राप्त करने का इच्छुक था, तो उसे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड के तहत आगे के शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन करना चाहिए था।

15. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता गैर-शिकायतकर्ता रहा और दूसरे प्रावधान के तहत लाभ केवल उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) की अनुपालन श्रेणी तक ही सीमित था, जिन्होंने 29.02.2020 तक आवेदन किया था, न कि उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) के लिए, जो गैर-अनुपालक बने रहे। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि भले ही कोई कोविड-19 महामारी नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता 29.02.2020 को या उससे पहले मान्यता के लिए आवेदन करने में विफल रहा, उसने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अकादमिक कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए विचार किए जाने का अपना अधिकार खो दिया। और इसलिए, महामारी हो या कोई

महामारी नहीं, याचिकाकर्ता को, किसी भी परिस्थिति में, 30.06.2020 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से परे मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कारण प्रत्यायन प्रक्रिया पूरी किए बिना कार्यक्रमों को जारी रखने का लाभ केवल उन संस्थानों तक ही सीमित था, जो एन.ए.ए.सी. को उच्च मान्यता स्कोर के लिए आवेदन 29.02.2020 को या उससे पहले जमा करके इसे प्राप्त करने के इच्छुक थे। चूंकि एन.ए.ए.सी. को मान्यता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चार से छह माह की आवश्यकता होती है, याचिकाकर्ता की ओर से 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन करने में विफलता ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के पूरा होने से पहले अर्थात 30.06.2020 तक आवश्यक स्कोर का प्रत्यायन प्राप्त करने की याचिकाकर्ता की संभावनाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया और ऐसे सभी गैर-अनुपालनकारी और अकर्मण्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को दूसरे परंतुक के लाभ से बाहर रखा गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता और उन संस्थानों की श्रेणी, जिन्होंने 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन जमा किया था, अलग और विशिष्ट हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वे समान रूप से स्थित हैं। 2020 के विनियम 3(क) के लागू आक्षेपित दूसरे परंतुक का उद्देश्य अनुपालन करने वाले और सतर्क संस्थानों की रक्षा करना था। इस प्रकार, वर्गीकरण प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ उचित संबंध रखता है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क दिया कि किसी भी मामले में, हालांकि शैक्षणिक सत्र, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है, इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस अवस्था में बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। याचिकाकर्ता को वर्ष 2022 में उस शैक्षणिक सत्र के संबंध में कोई राहत नहीं दी जा सकती जिसके लिए याचिकाकर्ता ने राहत मांगी है। निष्पक्ष रुख अपनाते हुए, प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि याचिकाकर्ता का मान्यता स्कोर, जो एनएएसी द्वारा समय-समय पर उसे प्रदान किया जा सकता है, निश्चित रूप से उसे अगले शैक्षणिक सत्रों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश के लिए विचार करने का अधिकार देगा, जैसा कि निर्धारित अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आवश्यक एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करने के बाद ऐसा आवेदन किए जाने की तारीख पर 2020 के

विनियम और अन्य प्रावधान लागू होते हैं।

16. अपनी दलीलों के समर्थन में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य बनाम नेहा अनिल बोबडे (गाडेकर) (2013) 10 एससीसी 519 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया।

17. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई विस्तृत प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

18. याचिकाकर्ता ने 2020 के विनियमों के विनियम 3 (क) के दूसरे परंतुक की संवैधानिकता और वैधता पर प्रश्न उठाया है। 2020 के विनियमों का विनियम 3 (क) नीचे दिया गया है:

> "3. संस्थागत स्तर पात्रता मानदंड.–
>
>)मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड-: कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आवेदन कर सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:-
>
> (i) 4-पॉइंट स्केल पर 3.01 के न्यूनतम स्कोर के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायन प्राप्त होगी; अथवा
>
> उसकी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की विश्वविद्यालय श्रेणी में दो पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम एक बार (आवेदन के समय) शीर्ष-100 में रैंक होगी:
>
> परंतु यह कि एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग आवश्यकताएँ केवल शैक्षणिक सत्र 2020-2021 (जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 से शुरू होने वाले सत्र) के लिए मान्य होंगी और आयोग द्वारा बाद में शैक्षणिक सत्र 2021-2022 (जुलाई 2021 से शुरू होने वाले सत्र) और आगे के लिए समीक्षा की जाएगी:
>
> परंतु यह भी कि कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व परिस्थितियों के मद्देनजर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक सत्र 2019-2020 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे ताकि उन्हें निर्धारित मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंचमार्क गुणवत्ता तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके और वे इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पैमाने पर 3.26 का राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद स्कोर प्राप्त करेंगे, और 29 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एक आवेदन भी प्रस्तुत करेंगे, तो वे जुलाई 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में एक वर्ष की अवधि के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड में शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए पहले से ही मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखेंगे। इसके बाद इन उच्च शिक्षण संस्थानों को उपरोक्त उप-खंड (i) में उल्लिखित पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी:

परंतु यह भी कि ऊपर उल्लिखित एनएएसी शर्त शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश के लिए आयोग द्वारा पहले से मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगी। इन मुक्त विश्वविद्यालयों को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे वर्तमान मान्यता अवधि के पूरा होने से पहले एनएएसी मान्यता प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि पहले से जारी आयोग के आदेश में निर्दिष्ट है, ऐसा न करने पर आयोग देगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के तहत ऐसे खुले विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को आगे मान्यता नहीं देगा:

परंतु यह भी कि यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के तहत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले मुक्त विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्राप्त करना और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता के लिए पात्र बनने के एक वर्ष के भीतर प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) प्रत्यायन हासिल करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर आयोग मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत ऐसे मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों को आगे मान्यता नहीं देगा:

परन्तु यह भी कि विश्श्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की

धारा 3 के अधीन सम-विश्वविद्यालय संस्थान वर्तमान सम-विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार और इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा;"

19. याचिकाकर्ता ने दो प्रमुख आधारों पर 2020 के विनियमों के विनियमन 3 (क) के दूसरे परंतुक की संवैधानिकता और वैधता पर प्रश्न उठाया है-

पहला यह है कि जबकि उपरोक्त परंतुक यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) को शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, वे जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड में अकादमिक सत्र 2019-20 के लिए पहले से ही मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखेंगे। शैक्षणिक, यह अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने के ऐसे लाभ को केवल उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) के लिए सीमित करना चाहता है, जिन्होंने इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया था कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त कर लेंगे और 29.02.2020 तक एनएएसी को आवेदन भी जमा कर दिया है। यह वर्गीकरण, दूसरे परंतुक के तहत लाभ को केवल उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) तक सीमित रखता है, जिन्होंने 29.02.2020 तक आवेदन जमा किया था और उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को लाभ देने से इनकार कर दिया है, जो 29.02.2020 तक ऐसे आवेदन जमा नहीं कर सके थे, इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई। चूंकि याचिकाकर्ता ने 29.02.2020 तक आवेदन नहीं किया था, इसलिए इसे 2020 के विनियम 3 (क) के दूसरे परंतुक के तहत गारंटीकृत लाभ से बाहर रखा गया है।

दूसरा आधार यह है कि 29.02.2020 तक मान्यता के लिए एनएएसी में आवेदन करने की ऐसी शर्त 2020 के विनियम 3(क) के दूसरे परंतुक के तहत पहली बार प्रस्तुत की गई थी, जो 04.09.2020 से लागू और प्रभावी हुए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, एनएएसी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, याचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र के अंत तक, अर्थात 30.06.2020 तक आवेदन करना चाहिए था और किसी भी स्थिति में, वह

कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने के लिए अगले एक वर्ष के लिए मान्यता प्रक्रिया को पूरा करने का पात्र था। केवल इस आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने से इनकार करना कि वह 29.02.2020 तक आवेदन जमा करने में विफल रहा है, ऐसे अर्जित अधिकार के लिए प्रतिकूल है। चूंकि प्रावधान, याचिकाकर्ता के अनुसार, संचालन में पूर्वव्यापी है, विनियमन स्वयं 1956 के अधिनियम की धारा 26, उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

20. 1956 का अधिनियम संसद द्वारा विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसमे उस उद्देश्य के लिए, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने का आशय रखा गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य 1956 के अधिनियम के अध्याय III में दिए गए हैं। यह घोषणा करता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालयों या संबंधित अन्य निकायों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाए जो वह विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझे। 1956 के अधिनियम के अध्याय III के तहत व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

21. जबकि केंद्र सरकार को 1956 के अधिनियम की धारा 25 के तहत नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, यूजीसी को 1956 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विषयों के अनुरूप नियम बनाने का अधिकार है जिन्हें 1956 के अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ञ) तक वर्णित किया गया है। 1956 के अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए, जो देश में उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 (संक्षेप में '2017 के विनियम') के रूप में जाना जाता है। इसके प्रख्यापन के बाद, 2017 के उपरोक्त विनियमों को समय-समय पर संशोधित किया गया। अधिसूचना दिनांक 11.10.2017 के माध्यम से, 2017 के विनियमों को पहली बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन) के माध्यम से संशोधित किया गया था।

दिनांक 06.02.2018 की एक अन्य अधिसूचना के माध्यम से, 2017 के उपरोक्त विनियमों फिर संशोधित किया गया जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के रूप में जाना जाता है।

2017 के विनियमों में तीसरा संशोधन दिनांक 06.09.2018 की अधिसूचना द्वारा प्रभावी किया गया था जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) तीसरे संशोधन विनियम, 2018 के रूप में जाना जाता है।

22. 2017 के विनियमों के विनियम 3 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पात्रता के नियमों और शर्तों को यहां ऊपर उल्लिखित पहले, दूसरे और तीसरे संशोधन द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया था। याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित कई विषयों में न केवल नियमित मोड के माध्यम से बल्कि यूजीसी की सम्यक मान्यता और अनुमति के बाद मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के पास एनएएसी द्वारा इसके पक्ष में जारी प्रत्यायन प्रमाण-पत्र (रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक-1) के माध्यम से 01.05.2015 से 30.04.2020 तक एनएएसी प्रत्यायन है। प्रमाण-पत्र से पता चलता है कि इसे बी ग्रेड पर चार-पॉइंट स्केल पर 2.28 के सीजीपीए के साथ प्रत्यायन दिया गया है। जैसा कि प्रमाण-पत्र से स्वतः ही स्पष्ट है, प्रमाण-पत्र केवल 30 अप्रैल, 2020 तक वैध है। समय-समय पर संशोधित 2017 के विनियमों के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) को मान्यता के कुछ न्यूनतम मानकों और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा, जैसा कि समय-समय पर विनियमों के तहत उपबंध किया गया है।

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 द्वारा विनियमन 3 के उप-विनियमन (1) के पहले खंड (viii) को प्रतिस्थापित करते हुए नए लागू किए गए खंड (viii) में निहित पात्रता मानदंडों में से एक को नीचे दिया गया है:

> "(viii) उच्च शिक्षा संस्थान के पास 4 पॉइंट स्केल पर 3.26 के न्यूनतम संचयी ग्रेड बिंदु औसत के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन

परिषद से वैध मान्यता होगी और उसने अस्तित्व के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों:

परंतु यह कि उच्च शिक्षण संस्थान जो या तो राज्य या केंद्रीय या राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं और जिन्हे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए खुले और दूरस्थ शिक्षा मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे निर्धारित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंचमार्क तक पहुंच सकें।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले उच्च शिक्षण संस्थान, लेकिन जो वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायन प्राप्त नहीं हैं, वे इस विनियमन के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को प्रत्यायन के लिए आवेदन करेंगे।

बशर्ते कि यह खंड मुक्त विश्वविद्यालयों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हो जाते हैं और मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इसके लिए पात्र होने के एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायन प्राप्त करें।

परन्तु यह भी कि, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित सम-विश्वविद्यालय संस्था विद्यमान सम-विश्वविद्यालय के अनुसार और साथ ही इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम संचालित करेगी।

परंतु यह भी कि उच्च शिक्षा संस्थान जो सम-विश्वविद्यालय हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए खुले और दूरस्थ शिक्षा मोड में कार्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति

दी गई है, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे निर्दिष्ट गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंचमार्क तक पहुंच सकें, बशर्ते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम-विश्वविद्यालय को विशेष रूप से विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है और ऑफ कैंपस केंद्रों, अध्ययन केंद्रों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है और उन्हें पर्याप्त पाया जाता है और ऐसा अनुमोदन पाठ्यक्रम विशिष्ट होगा।

परंतु यह भी कि इस श्रेणी में आने वाले सम-विश्वविद्यालय जो वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायन प्राप्त नहीं हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के शुरू होने से तीन माह के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को प्रत्यायन के लिए आवेदन करना होगा।"

इसलिए, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड में शिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने के लिए उपरोक्त नए शुरू किए गए पात्रता मानदंड में स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) के पास 4-प्वाइंट स्केल पर न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 3.26 के साथ एनएएसी का वैध प्रत्यायन होना चाहिए और उन्होंने अपने अस्तित्व के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों। पहले परंतुक में कहा गया है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान (एचईआई) जो या तो राज्य या केंद्रीय या राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं और जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी ताकि उन्हें निर्धारित गुणवत्ता एनएएसी बेंचमार्क तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके।

दूसरे परंतुक में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले उच्च शिक्षण संस्थान (एच.ई.आई.) जो वर्तमान में एनएएसी से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वे उपर्युक्त द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन करेंगे।

स्पष्ट रूप से, इसलिए, वे उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई), जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, को विनियमों की उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक था, अर्थात, उनका 4-प्वाइंट स्केल पर न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 3.26 होना चाहिए और उनके द्वारा अस्तित्व के पांच वर्ष पूरे कर लिए गए होने चाहिए थे। जिन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई थीताकि वे निर्धारित गुणवत्ता एनएएसी बेंचमार्क तक पहुंच सकें। याचिकाकर्ता, जिसके पास 4-पॉइंट स्केल पर 2.28 सीजीपीए के साथ एनएएसी से मान्यता है और अस्तित्व के पांच वर्ष पूरे कर चुके हैं, को शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई थी ताकि इसे निर्धारित गुणवत्ता एनएएसी बेंचमार्क के तक पहुंचाने में सक्षम बनाया जा सके।

24. 2017 के विनियमों का 06.09.2018 को अधिसूचित तीसरा संशोधन, अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) तीसरा संशोधन विनियम, 2018, उपरोक्त खंड (viii) को नए खंड से प्रतिस्थापित किया जिसे नीचे वर्णित किया गया है:

> "(viii) च्च शिक्षण संस्थान ने अपने अस्तित्व के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं:
>
> परंतु यह कि उच्च शिक्षण संस्थान इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) स्कोर प्राप्त करेंगे, ऐसा करने में विफल रहने पर, आयोग उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को आगे कोई अनुमोदन नहीं देगा:
>
> परंतु यह भी कि यह खंड मुक्त विश्वविद्यालयों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे एनएएसी प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हो जाते हैं और मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे इसके लिए पात्र होने के एक वर्ष के भीतर एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करें:

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित सम-विश्वविद्यालय संस्था वर्तमान सम-विश्वविद्यालय विनियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य संगत विनियमों के अनुसार और ऑफ-कैंपस केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों या दोनों, जो भी लागू हो, के यथोचित निरीक्षण और पर्याप्त पाए जाने के पश्चात् मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की पेशकश करेगी।"

उपरोक्त नए प्रतिस्थापित प्रावधान ने 2019-20 के बाद शैक्षणिक सत्रों के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। इनमें से एक शर्त यह थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को अस्तित्व के पांच वर्ष पूरे करने चाहिए। पहले परंतुक में अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना था कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एनएएसी स्कोर प्राप्त करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) ऐसा वचन देने में विफल रहते हैं, तो यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों को कोई अनुमोदन नहीं देगा।

25. यूजीसी ने दिनांक 01.11.219 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश के लिए पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) से नए आवेदन आमंत्रित किए और याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया।

26. चूंकि आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने के समय लागू नियमों में यह अनिवार्य है कि उच्च शैक्षणिक संस्थान (एचईआई) इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 की समाप्ति से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एनएएसी स्कोर प्राप्त कर लेंगे और ऐसा न होने पर, यूजीसी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों को कोई मंजूरी नहीं देगा, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि वे

समय रहते एनएएसी में उनके एन.ए.ए.सी. स्कोर में सुधार के लिए आवेदन करें ताकि एनएएसी उचित निरीक्षण और सभी मानदंडों पर विचार करने के बाद मान्यता की प्रक्रिया पूरी कर सके, जो एक उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई.) को शैक्षणिक सत्र 2019-2020 की समाप्ति से पहले 4-पॉइंट स्केल में 3.26 का एनएएसी स्कोर प्राप्त करने का अधिकार दे सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता सहित सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) को 08.11.2019 को दिनांक 14.11.2019 तक निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था:

> 1.एचईआई जून 2020 तक यूजीसी (ओडीएल) विनियम, 2017 और इसके संशोधन के इस खंड के अनुसार एनएएसी स्कोर = 3.26 की इस शर्त "कि उच्च शैक्षणिक संस्थान शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) का 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 स्कोर प्राप्त करेंगे है, ऐसा न होने पर, आयोग उच्च शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को कोई मंजूरी नहीं देगा,.." का अनुपालन कैसे करेगा?
>
> 2. क्या एच.ई.आई. ने पुनः मान्यता के लिए एनएएसी को प्रस्ताव/एसएसआर प्रस्तुत किया है?
>
> यदि हां, तो जमा करने की तारीख (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)
>
> यदि नहीं, तो उसके कारण।"

27. संस्थानों से मांगी गई उपरोक्त जानकारी बहुत प्रासंगिक थी क्योंकि एनएएसी मैनुअल के अनुसार, प्रत्यायन की प्रक्रिया में महीनों लगते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए याचिकाकर्ता को 18.11.2019 और 19.11.2019 को अनुस्मारक भेजे गए थे।

जाहिर है, यू.जी.सी. ने आवेदन आमंत्रित करते समय इस बात को ध्यान में रखा कि विनियम 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 के एनएएसी स्कोर को अनिवार्य करते हैं और जो संस्थान एनएएसी को समय पर आवेदन नहीं करते हैं, उन्हें आवश्यक बेंचमार्क प्रत्यायन नहीं मिल सकता है।

प्रक्रिया को समझाने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निर्णय लिया कि

सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई.), जिनके पास स्वीकार्य स्तर का एन.ए.ए.सी.ग्रेड नहीं है, उन्हें वर्तमान मान्यता अवधि के समाप्त होने से पूर्व 31.01.2020 से पहले एनएएसी मान्यता के लिए फिर से सम्यक रूप से आवेदन करने के लिए कहा जाना चाहिए। आगे निर्णय लिया गया कि निदेशक, एन.ए.ए.सी. ऐसे सभी संस्थानों के लिए 18.12.2019 को एक कार्यशाला आयोजित करेंगे, जिसमें वर्तमान मान्यता के समाप्त होने और नई मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित प्रक्रियाओं को समझाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की दिनांक 20.11.2019 की नोट-शीट (रिट याचिका के उत्तर के साथ संलग्न अनुबंध आर/4) से पता चलता है कि एनएएसी से अनुरोध किया जाना था कि वह संस्थानों के मूल्यांकन में तेजी लाएं ताकि परिणाम 01.06.2020 से पहले घोषित किए जा सकें और यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान यह निर्णय ले सकें कि जुलाई, 2020 से नए छात्रों को प्रवेश देना है या नहीं। 18.12.2019 को एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें आवश्यक एनएएसी स्कोर नहीं रखने वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) ने भाग लिया, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था। इस तथ्य को प्रत्यर्थी-यूजीसी ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है। कार्यशाला का विवरण भी रिकॉर्ड में रखा गया है। 18.12.2019 को कार्यशाला में भाग लेने वाले संस्थानों की सूची में याचिकाकर्ता- विश्वविद्यालय भी शामिल है।

28. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) द्वारा जिनका एनएएसी स्कोर 3.26 नहीं था, एनएएसी ग्रेड में सुधार के लिए एनएएसी के समक्ष समय पर आवेदन जमा किए जाएं, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) को एनएएसी मान्यता के लिए हर हाल में 29.02.2020 तक आवेदन करना आवश्यक था। दिनांक 31.01.2020 के पत्र-व्यवहार (रिट याचिका के उत्तर के साथ संलग्न अनुलग्नक-आर/8) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी संबंधित डुअल दोहरी मोड विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि अर्थात 10.02.2020 से पहले मान्यता के लिए आवेदन करना होगा और ऐसे सभी प्राप्त आवेदनों पर निर्णय/परिणाम की घोषणा एनएएसी द्वारा 01.06.2020 तक की जाएगी।

दिनांक 03.02.2020 के पत्र के माध्यम से उक्त अवधि को 29.02.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

29. उपरोक्त तथ्यों और घटनाओं की श्रंखला के विवरणों के साथ-साथ मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड में शिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश के लिए मंजूरी देने के मामले में 2020 के विनियमों की वैधानिक योजना के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि सभी ऐसे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई) को, जिनका 4-पॉइंट स्केल पर एनएएसी स्कोर 3.26 से कम था, उन्हें 2017 के विनियम (समय-समय पर संशोधित) के विनियमन 3 की आवश्यकता के अनुसार शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले अपने एन.ए.ए.सी. स्कोर में सुधार/उन्नयन करना आवश्यक था और वे इस अपेक्षा को तभी प्राप्त कर सकते थे जब उन्होंने अंतिम तारीख अर्थात 30.06.2020 से कम-से-कम चार माह पहले, समय पर मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एनएएसी में आवेदन किया होता। इसी उद्देश्य से ऐसी श्रेणी के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई.) से यह जानकारी जमा करने के लिए कहा जा रहा था कि वे 2019-20 के शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर कैसे प्राप्त करेंगे। मान्यता की प्रक्रिया समझाने के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई ताकि संस्थान समय रहते अपने एनएएसी स्कोर में सुधार के लिए एनएएसी को आवेदन कर सकें। इसी पृष्ठभूमि में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई.) को अपने मान्यता स्कोर में सुधार के लिए एन.ए.ए.सी. को पहले से ही अपने आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था। हालाँकि, शुरुआत में उन्हें 10.02.2020 तक आवेदन जमा करने की आवश्यकता थी, लेकिन उस अवधि को 29.02.2020 तक बढ़ा दिया गया था। 29.02.2020 की अंतिम तारीख यह ध्यान में रखते हुए जानबूझकर तय की गई थी कि एनएएसी को प्रत्यायन की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग चार से छह माह लगते हैं। जब तक उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई.) पहले से अर्थात कम-से-कम चार माह पहले, आवेदन नहीं करते, वे 30.06.2020 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के अंत से पहले आवश्यक एनएएसी स्कोर सुरक्षित कर पाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसलिए, 29.02.2020 की अंतिम तारीख के पीछे एक स्पष्ट तर्क और उद्देश्य था। जबकि कई संस्थानों ने आवेदन किया था, याचिकाकर्ता ने, सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, 4-पॉइंट स्केल पर न्यूनतम 3.26 एनएएसी स्कोर प्राप्त करने के लिए, अपनी ग्रेडिंग के उन्नयन के लिए एनएएसी में आवेदन नहीं किया था जिससे कि वह अगले शैक्षणिक वर्ष, अर्थात 2020-21 में दूरस्थ और शिक्षण (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र हो पाता।

हालांकि, याचिकाकर्ता को यह अच्छी तरह से पता था कि यू.जी.सी. ने निचली ग्रेडिंग वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 29.02.2020 तक आवेदन करने के लिए कहा है, जिस तथ्य उन्हें 18.12.2019 को आयोजित कार्यशाला में भी समझाया गया था, उसने उन शर्तों को चुनौती देने का विकल्प भी नहीं चुना, लेकिन उसने 29.02.2020 तक अपने एन.ए.ए.सी. स्कोर के उन्नयन के लिए एनएएसी को आवेदन जमा करने की उपरोक्त आवश्यकता का गैर-अनुपालन करते हुए, इस विषय में चुप्पी साध ली।

30. इस अवस्था पर, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए एक निवेदन का उल्लेख करना आवश्यक है कि यू.जी.सी. द्वारा किए गए पत्र-व्यवहार ने इस तरह के अनुपालन को केवल स्वैच्छिक बनाया है, अनिवार्य नहीं।

31. एनएएसी द्वारा जारी दिनांक 03.02.2020 का पत्र/अधिसूचना याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थीगण दोनों द्वारा दाखिल किया गया है। उक्त पत्र की विषय-वस्तु निम्नानुसार है:

> "यह दोहराया जाता है कि डुअल मोड विश्वविद्यालय (डीएमयू) सामान्य विश्वविद्यालय मैनुअल या डुअल मोड विश्वविद्यालय (डीएमयू) मैनुअल में एनएएसी मूल्यांकन और प्रत्यायन (एएंडए) प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। यह विकल्प 14 जनवरी 2020 की एनएएसी अधिसूचना के अनुसार जून 2021 तक जारी रहेगा।
>
> सभी डुअल मोड विश्वविद्यालय (डी.एम.यू.) जिनके पास वैध मान्यता है, वे 29 फरवरी 2020 को या उससे पहले अपनी वैधता अवधि की पूर्व-समाप्ति करके ऑनलाइन आईआईक्यूए/एसएसआर लागू करके एनएएसी द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं।"

32. अगले शैक्षणिक सत्र, अर्थात 2020-21 के लिए दूरस्थ और शिक्षण (ओ.डी.एल.) शिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र बनने के लिए, 30.06.2020 को या उससे पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करने की अपेक्षा 2017 के विनियमों (समय-समय पर संशोधित) के तहत ।वैधानिक रूप से अनिवार्य थी। एन.ए.ए.सी. के उपरोक्त पत्र ने विश्वविद्यालयों (डूअल मोड) को स्वैक्षिक रूप से केवल सामान्य विश्वविद्यालय मैनुअल या डुल मोड विश्वविद्यालय मैनुअल में एन.ए.ए.सी.

मूल्यांकन और प्रत्यायन (ए एंड ए) प्रक्रियाओं में शामिल होने का विकल्प दिया था। विकल्प में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि वे दोहरे मोड विश्वविद्यालय, जिनके पास वैध मान्यता है, वे 29.02.2020 को या उससे पहले अपनी वैधता अवधि की पूर्व-समाप्ति करके ऑनलाइन आई.आई.क्यू.ए./ एस.एस.आर. आवेदन करके एन.ए.ए.सी.द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। इस पत्र से यह स्पष्ट है कि जो संस्थान दोहरे मोड अर्थात मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड को जारी रखने के इच्छुक थे, उन्हें किसी भी स्थिति में 29.02.2020 या उससे पहले आवेदन करना आवश्यक था। यह नहीं कहा जा सकता कि एन.ए.ए.सी. के पत्र ने वैधानिक रूप से मापदंड निर्धारित किये हैं। स्वाभाविक रूप से, जिन संस्थानों ने सामान्य विश्वविद्यालय नियमावली में एन.ए.ए.सी. मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से भाग लिया, इसका अर्थ यह था कि उन्हें डुल मोड नियमावली में कोई दिलचस्पी नहीं है। निश्चित रूप से, जो संस्थान डुअल मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के इच्छुक थे, उनके लिए 29.02.2020 को या उससे पहले अपनी वैधता अवधि की पूर्व-समाप्ति करके ऑनलाइन आई.आई.क्यू.ए./एस.एस.आर. को आवश्यक रूप से लागू करना आवश्यक था। उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई.), जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) में शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने के इच्छुक थे, उनके लिए 30.06.2020 को या उससे पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करना अपेक्षित था और इसलिए, यह आवश्यक था कि उन्हें पहले से ही आवेदन करना होगा, अन्यथा उन्हें आवश्यक ग्रेडिंग मिलने की संभावना नहीं थी। इस प्रकार, उनके आचरण से, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसे इसे विश्वविद्यालयों के विकल्प पर छोड़ दिया गया था। एक थी अनुपालनकर्ता श्रेणी, जो 30.06.2020 को या उससे पहले एन.ए.ए.सी. स्कोर 3.26 के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने को तैयार थी और यू.जी.सी. की आवश्यकता के अनुसार, उसने तुरंत 29.02.2020 तक अपने आवेदन जमा कर दिए। दूसरी श्रेणी याचिकाकर्ता की तरह गैर-अनुपालनकर्ता श्रेणी थी, जिसने अवसर दिए जाने के बावजूद 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन करने का विकल्प नहीं चुना। याचिकाकर्ता जैसे संस्थान गैर-अनुपालक उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) की एक अन्य श्रेणी का गठन करते हैं। याचिकाकर्ता और इसी तरह स्थित उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) के आचरण, जिन्होंने बार-बार अवसर दिए जाने और एक के बाद एक संचार

किए जाने के बावजूद 29.02.2020 या उससे पहले एन.ए.ए.सी. मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया था, से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे आवश्यक एन.ए.ए.सी. ग्रेडिंग प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं और शैक्षणिक सत्र 2019-20 के बाद मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस समय तक, अर्थात 29.02.2020 तक, कोई लॉक डाउन नहीं लगाया गया था, न ही यू.जी.सी. और एन.ए.ए.सी. के कामकाज को निलंबित किया गया था।

33. हालाँकि, जैसा कि सर्वविदित है, कोविड-19 महामारी फैलने के कारण, यू.जी.सी. और एन.ए.ए.सी. दोनों ने अपने नियमित कामकाज को निलंबित कर दिया था और दिनांक 30.06.2020 के पत्र (रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक-9) के माध्यम से, यू.जी.सी. ने जुलाई, 2020 के शैक्षणिक सत्र से आगेमुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों की पेशकश के लिए प्राप्त आवेदनों को रद्द करने के संबंध में सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को सूचित किया था। इस पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र जुलाई, 2020 के लिए पहले से प्राप्त सभी आवेदन नए एकीकृत ओ.डी.एल. और ऑनलाइन विनियमों के मद्देनजर अमान्य माने जाएंगे। आगे यह भी कहा गया कि नए एकीकृत विनियमों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए पात्र उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई) से नये सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। एन.ए.ए.सी. ने 25.03.2020 को (रिट याचिका के साथ संलग्न अनुबंध-15) सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को यह भी सूचित किया कि लॉक डाउन के कारण, कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, अन्य सभी स्थापन इस अवधि के दौरान बंद हैं। इसमें आगे कहा गया है कि जिन संस्थानों द्वारा एसएसआर जमा करना और डीवीवी प्रतिक्रिया जमा करना लंबित है, उन्हें वर्तमान मौजूदा स्थिति के आधार पर इसके लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद दिनांक 09.07.2020 को एक और पत्र आया जिसमें मान्यता की वैधता अवधि का विस्तार प्रदान किया गया। उस पत्र की विषय-वस्तु इस प्रकार है:

"सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिसूचना"

उन उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रत्यायन की वैधता अवधि (कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए)

उन एचआईई के लिए, जिनकी प्रत्यायन वैधता कोविड महामारी की अवधि के दौरान समाप्त हो गई है, उनकी प्रत्यायन वैधता अवधि का विस्तार, अर्थात 1 मार्च, 2020 से किया जाता है, बशर्ते कि उच्च शिक्षा संस्थान (एच.ई.आई.) द्वारा सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सरकार/विश्वविद्यालय अधिसूचना से तीन माह के भीतर गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन संस्थागत सूचना (आई.आई.क्यू.ए.) प्रस्तुत करें।

कोई एच.ई.आई., जिसने महामारी अवधि से पहले/उस दौरान मान्यता की वैधता अवधि अर्थात 1 मार्च 2020, के भीतर ऑनलाइन आई.आई.क्यू.ए./ऑनलाइन एसएसआर जमा किया है, लेकिन महामारी के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है, उनकी मान्यता की वैधता अवधि एन.ए.ए.सी. के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार बढ़ा दी गई है अर्थात जब तक एन.ए.ए.सी. की ए एंड ए प्रक्रिया को पूरा पूरा करती है, बशर्ते ऐसे संस्थान अपने आवेदन वापस न लें और सरकार/विश्वविद्यालय अधिसूचना के अनुसार सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के तीन माह के भीतर प्रक्रिया जारी रखने के लिए सहमत हों।

एच.ई.आई. जिनकी वैधता अवधि 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गई थी और उन्होंने आई.आई.क्यू.ए.जमा कर दिया था, लेकिन महामारी के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है, उनकी एन.ए.ए.सी. के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार मान्यता की वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है। लेकिन उनके आई.आई.क्यू.ए./एस.एस.आर. आवेदन के प्रसंस्करण चरणों की समय-सीमा सरकार/विश्वविद्यालय अधिसूचना के अनुसार सामान्य शैक्षणिक गतिविधियाँ फिर से शुरू होने के बाद स्वचालित रूप से 3 माह की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी।"

उपरोक्त पत्र के अनुसार, उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.), जिनके प्रत्यायन की वैधता कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान अर्थात 01.03.2020 को समाप्त हो गई थी, के प्रत्यायन की वैधता अवधि से बढ़ा दी गई थी, बशर्ते कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) ने उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) द्वारा सामान्य

शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सरकार/विश्वविद्यालय की अधिसूचना से तीन माह के भीतर गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना (आई.आई.क्यू.ए.) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत की हो। प्रत्यायन की वैधता अवधि के विस्तार का लाभ यह हुआ कि याचिकाकर्ता का प्रत्यायन, जो 30 अप्रैल, 2020 तक वैध था, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से फिर से शुरू होने की सरकार/विश्वविद्यालय अधिसूचना से तीन माह के भीतर आई.आई.क्यू.ए. जमा करने की शर्त को पूरा करने के अध्याधीन बच गई थी। याचिकाकर्ता का प्रत्यायन 4-पॉइंट स्केल पर 2.28 एन.ए.ए.सी. स्कोर था।

34. इसके अलावा, 10.07.2020 को एक और पत्र जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि एन.ए.ए.सी. शैक्षणिक वर्षों का निर्णय लेने के लिए लचीले और खुले प्रावधानों की शर्तों में ढील देगा और इसके अलावा संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष पूरा होने पर प्रस्तुतियाँ देने की अनुमति दी। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन संस्थानों ने पहले ही अपने आवेदन जमा कर दिए हैं, महामारी की स्थिति को देखते हुए, एन.ए.ए.सी. सामान्य शैक्षणिक गतिविधियाँ फिर से शुरू करने के लिए और उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) द्वारा परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं के संचालन और उनकी समाप्ति के लिए सरकारी अधिसूचना से तीन माह के डेटा जमा करने के लिए भीतर समय बढ़ा देगा जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2019-20 भी शामिल होगा।

35. एन.ए.ए.सी. द्वारा समय-समय पर किए गए पत्र-व्यवहार, जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, ने महामारी की स्थिति को देखते हुए एन.ए.ए.सी. मान्यता की वैधता अवधि के विस्तार करते हुए आवेदन जमा करने के मामले में छूट प्रदान की है।

वे शिकायत करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान, जो शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों को जारी रखने के इच्छुक थे और यू.जी.सी. द्वारा आवश्यक 29.02.2020 को या उससे पहले तुरंत अपने आवेदन जमा किए थे, पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे क्योंकि अगर महामारी की स्थिति नहीं होती, तो उनके आवेदनों को एन.ए.ए.सी. द्वारा संसाधित किया जाता और उन्हें 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर दिया जाता जिससे कि वे अगले शैक्षणिक सत्र के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) शिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें।

वे उच्च शिक्षण संस्थान (एच.ई.आई.), जो गैर-शिकायतपूर्ण रहे और 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन जमा करने में विफल रहे, उन्हें किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने 29.02.2020 तक अपने आवेदन जमा नहीं किए, उन्होंने अपना अधिकार खो दिया। वे उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई), जो अपने आचरण के आधार पर 29.02.2020 तक अपने आवेदन जमा करने में विफल रहे, अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात 2020-21 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) शिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखने के इच्छुक नहीं थे। हालाँकि, उन्हें एन.ए.ए.सी. मान्यता की वैधता के विस्तार से लाभ हुआ था, जो उनके पास थी, भले ही उन्होंने 29.02.2020 के दिन या उससे पहले आवेदन नहीं किया था। याचिकाकर्ता और अन्य गैर-अनुपालक संस्थान, जो 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन करने में विफल रहे, इस प्रकार, उन संस्थानों से एक अलग और विशिष्ट वर्ग/श्रेणी का गठन किया गया, जो अनुपालन कर रहे थे और जिन्होंने 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन किया था।

36. यू.जी.सी. ने नए नियम जारी किए, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के रूप में जाना जाता है, जिसे दिनांक 04.09.2020 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया। इसके विनियम 3 में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के साथ-साथ ऑनलाइन मोड के लिए संस्थागत स्तर की पात्रता मानदंड प्रदान किए गए हैं। उप विनियम (क) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए उपबंध करता है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पात्रता मानदंड यह था कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को 4-पॉइंट स्केल पर 3.01 न्यूनतम स्कोर के साथ एन.ए.ए.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या पिछले दो चक्रों में कम से कम एक बार (आवेदन के समय) उसका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 में रैंक होना चाहिए। 2020 के विनियम 3(क) के मुख्य प्रावधानों में पांच प्रावधान शामिल हैं जिसमें आक्षेपित दूसरा परंतुक भी शामिल है जिसे पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है।

2020 के विनियमों के विनियमन 3 (क) के पहले परंतुक में कहा गया है कि एन.ए.ए.सी. और एनआईआरएफ रैंकिंग आवश्यकताएं केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मान्य होंगी और बाद में शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए आयोग द्वारा समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार, पहला परंतुक शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए एन.ए.ए.सी. रैंकिंग की

वैधता को जारी रखता है।

2020 के विनियम 3(क) का दूसरा परंतुक, जो इस याचिका में आक्षेपित है, का आशय ऐसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) की अनुपालनकर्ता श्रेणी की रक्षा करना है, जिन्होंने एन.ए.ए.सी. और यू.जी.सी. की सामान्य गतिविधियों के निलंबन से पहले तुरंत कार्रवाई की थी और 29.02.2020 को या उससे पहले अपने एन.ए.ए.सी. स्कोर में सुधार करने के लिए एन.ए.ए.सी. मान्यता के लिए आवेदन किया था। इस प्रकार, वे सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई), जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त थे और उन्होंने 29.02.2020 तक एन.ए.ए.सी. को अपने आवेदन जमा कर दिए थे और इस आशय का वचन-पत्र भी प्रस्तुत किया था कि वे शैक्षणिक सत्र जुलाई 2019-जून 2020 के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त कर लेंगे, उन्हें इस तरह से संरक्षित किया गया कि वे एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात जुलाई, 2020 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड में, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अपने पहले से ही मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखेंगे। यह भी अपेक्षा की गई कि इसके बाद, ऐसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) के लिए पात्रता प्राप्त करनी आवश्यक होगी, जैसा कि 2020 के विनियम 3 के उप-विनियम (क) के उप-खंड (i) में उल्लिखित है।

37. उच्च शैक्षणिक संस्थान (एच.ई.आई.), जो 29.02.2020 को या उससे पहले अपने आवेदन जमा करने में विफल रहे, उन्हें 2020 के विनियमों के विनियमन 3 (क) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किए गए लाभ से बाहर रखा गया क्योंकि वे उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई) के एक गैर-शिकायत वर्ग का गठन करते थे, जिन्होंने अपने आचरण से, अगले शैक्षणिक सत्र, अर्थात 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, क्योंकि ऐसे संस्थान, यदि इच्छुक होते, तो उन्होंने 29.02.2020 की अंतिम तारीख से पहले निश्चित रूप से आवेदन किया होता क्योंकि वे जानते थे कि एन.ए.ए.सी. मान्यता प्रक्रिया में चार से छह माह का समय लगता है और जब तक वे अंतिम तारीख के भीतर आवेदन नहीं करते हैं, उनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अंत से पहले, अर्थात 30.06.2020 तक, 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का बेहतर मान्यता स्कोर प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

38. उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) की शिकायतकर्ता श्रेणी, जो अगले सत्र के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) शिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखने के इच्छुक थी, ने 29.02.2020 तक आवेदन जमा करने की आवश्यकता के उत्तर में तुरंत कार्रवाई की। लेकिन महामारी की शुरुआत और एन.ए.ए.सी. और यू.जी.सी. की गतिविधियों के निलंबन के कारण, उन्हें अपनी एन.ए.ए.सी. ग्रेडिंग में सुधार करने और 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का अपेक्षित एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करने की संभावना नहीं थी। इस प्रकार, उनकी ओर से अनुपालन के बावजूद, एन.ए.ए.सी. द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण शुरू नहीं की जा सकी। यह वह श्रेणी थी, जिसे 2020 के विनियम 3 (क) के दूसरे परंतुक के तहत लाभान्वित करने की मांग की गई है।

39. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई.) की गैर-शिकायत श्रेणी को 2020 के विनियमों के विनियमन 3 (क) के लागू आक्षेपित दूसरे परंतुक के लाभ से बाहर रखा गया था।

40. उच्च शिक्षा संस्थानों (एच.ई.आई.) का उप-वर्गीकरण यू.जी.सी. की अपेक्षाओं के अनुरूप या गैर-शिकायत होने के आधार पर स्पष्ट रूप से दो पृथक, अलग और अलग-विशिष्ट वर्गों का गठन करता है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एच.ई.आई.) की गैर-अनुपालन श्रेणी अनुपालन योग्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं (एच.ई.आई.) द्वारा प्रदान किए गए लाभ प्रदान करने के मामले में व्यवहार की समानता का दावा नहीं कर सकती है अथवा भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकती है।

41. 2017 के विनियमों के यथासंशोधित और प्रासंगिक समय पर लागू प्रावधान, अनिवार्य रूप से संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र के अंत से पहले 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करना अपेक्षित बनाते है। यू.जी.सी. ने यह ध्यान में रखते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29.02.2020 तय की है कि जब तक आवेदन पहले से जमा नहीं किए जाते, एन.ए.ए.सी. मान्यता प्रक्रिया के माध्यम से संस्थानों द्वारा उच्च ग्रेड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है, जिसमें समय लगता है। इसलिए, 29.02.2020 की कट ऑफ तारीख का निर्धारण, जो शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से चार माह पहले है, अतार्किक, मनमाना या बिना किसी आधार के नहीं था। इसलिए, वर्गीकरण तर्कसंगत पूर्णांक पर आधारित था। इसके अलावा, इस तरह के वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ उचित संबंध था। 2022 के विनियम 3 (क) के दूसरे परंतुक का उद्देश्य उन

उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) की रक्षा करना था, जो कोविड-19 महामारी की स्थिति और एन.ए.ए.सी. और यू.जी.सी. द्वारा गतिविधियों के निलंबन के कारण 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन करके उच्च एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करने के इच्छुक थ, परंतु वे 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का आवश्यक एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई थी और जिसके लिए ऐसा वर्गीकरण किया गया था, उसे असंवैधानिक या किसी भी तरह से अवैध या सार्वजनिक नीति का विरोधी नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए, याचिकाकर्ता, एक गैर-शिकायत संस्था का बहिष्करण, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

यह माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में तय किया गया है सुस्थापित सिद्धांत है कि राज्य कानून के प्रयोजनार्थ उचित वर्गीकरण के लिए निर्णय ले सकता है। संविधान राज्य को वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि कानून के प्रयोजनों के लिए और किसी विशेष विषय पर अधिनियमित कानून के संबंध में किसे एक वर्ग माना जाना चाहिए। ये सिद्धांत सहायक कानून/प्रत्यायोजित कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते समय समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें 1956 के अधिनियम की धारा 26 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यू.जी.सी. द्वारा बनाए गए आपेक्षित विनियमन शामिल हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त सिद्धांत को बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017) 7 एससीसी 59 के मामले में दोहराया गया था और पूरी तरह से समझाया गया था। उचित वर्गीकरण के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया:

> "30. उपरोक्त तर्काधार पर, श्री दातार द्वारा निर्मित और विकसित तर्क यह है कि यद्यपि सूची-I और सूची-III के संबंध में कानून पारित करने की संसद की शक्ति पूर्ण है, लेकिन यह दो निहित सीमाओं के अधीन है:
>
> 30.1. संसद या कोई राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकता जो किसी निर्णय को निरस्त करता हो; इससे पहले कि कोई कानून पारित किया जाए जिसके परिणामस्वरूप निर्णय को रद्द किया जा सकता है, निर्णय के आधार को हटाना अनिवार्य है। एक बार जिस

आधार पर पहले का निर्णय/आदेश/निर्णय दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, तो संसद तब भावी प्रभाव से या पूर्वव्यापी रूप से और वैधता खंड के साथ या उसके बिना एक कानून पारित कर सकती है।

30.2. विपरीत कानूनों को पारित नहीं करने की निहित सीमा: सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत तब लागू होता है जब दो अधिनियमों के बीच आकस्मिक टकराव या संघर्ष होता है और उच्चतम न्यायालय ने दूसरे को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रावधान को बार-बार पढ़ा है। इस प्रकार, दोनों प्रावधानों को प्रभावी किया जाना चाहिए। लेकिन अगर टकराव या संघर्ष ऐसा है कि एक प्रावधान दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में नहीं हो सकता है, तो बाद के प्रावधान को रद्द कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, आधार संख्या प्राप्त करना स्वैच्छिक है और स्पष्ट रूप से ऐसा घोषित किया गया है। एक बार आधार कार्ड स्वैच्छिक हो जाने के बाद, इसे अधिनियम की धारा 139-कक द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। जब तक आधार अधिनियमन क्षेत्र में है, तब तक संसद की शक्ति पर एक अंतर्निहित सीमा है कि वह एक विपरीत कानून पारित न करे।

46. श्री दीवान ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सीबीआई (2014) 8 एससीसी 682 के निर्णय पर भी भरोसा किया। पैरा 58 और 59 (एससीसी पीपी 725-26) निम्नानुसार उद्धृत है:

"58. संविधान राज्य को वर्गीकरण की प्रक्रिया द्वारा यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि कानून के प्रयोजनों के लिए और किसी विशेष विषय पर अधिनियमित कानून के संबंध में किसे एक वर्ग माना जाना चाहिए। जब एक वर्ग को दूसरे से अलग किया जाता है तो कुछ हद तक असमानता अवश्य होती है। हालाँकि, ऐसा अलगाव तर्कसंगत होना चाहिए न कि कृत्रिम या टालमटोल करने वाला। दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, जो एक साथ समूहीकृत सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, न कि अन्य लोगों में जो छूट गए हैं, बल्कि विधान का उन गुणों या विशेषताओं का वस्तु के साथ

उचित संबंध होना चाहिए। भिन्नता जो वर्गीकरण का आधार है, वह ठोस होनी चाहिए और उसका कानून के उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए। यदि वस्तु स्वयं भेदभावपूर्ण है, तो यह स्पष्टीकरण कि प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध रखते हुए वर्गीकरण उचित है, सारहीन है।

59. हमें ऐसा लगता है कि सरकारी सेवा में स्थिति के आधार पर धारा 6-क में जो वर्गीकरण किया गया है, वह अनुच्छेद 14 के तहत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रथम दृष्टया सत्यता खोजने के उद्देश्य को विफल करता है, जो कि पीसी अधिनियम, 1988 के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्या भ्रष्ट लोक सेवकों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर स्पष्ट भेदभाव किया जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति या पद की परवाह किए बिना, भ्रष्ट लोक सेवक सार्वजनिक शक्ति को भ्रष्ट करते हैं। भ्रष्ट लोक सेवक, चाहे उच्च हों या निम्न, एक ही थैली के चट्टे-बट्टे होते हैं और उनकी जांच और पूछताछ की प्रक्रिया में समान रूप से उनके साथ उसे तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। सेवा में स्थिति या स्थिति के आधार पर, उन लोक सेवकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जिनके विरुद्ध पीसी अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के आरोप हैं।"

उपरोक्त मामले में, वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधन द्वारा सम्मिलित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139-कक की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139-कक के अनुसार, स्थायी खाता संख्या (पैन) के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र के साथ-साथ आयकर रिटर्न में, निर्धारिती को आधार संख्या उद्धृत करने के लिए बाध्य किया गया था। उक्त कानून को उसके अस्तित्व के आधार पर चुनौती भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के भेदभावपूर्ण और उल्लंघन की जांच नीचे दी गई है:

"क्या अधिनियम की धारा 139-कक भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है?

100. अनुच्छेद 14, जो मौलिक अधिकार के रूप में समानता के सिद्धांत

को स्थापित करता है, आदेश देता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार, यह समान परिस्थितियों में, प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में, समान व्यवहार का अधिकार देता है। श्रीनिवास थिएटर बनाम टी.एन. राज्य (1992) 2 एससीसी 643 में, इस न्यायालय ने समझाया कि दो अभिव्यक्तियाँ "कानून के समक्ष समानता" और "कानून की समान सुरक्षा" का मतलब एक ही नहीं है, भले ही उनके बीच बहुत कुछ समान हो। "कानून के समक्ष समानता" एक गतिशील अवधारणा है जिसके कई पहलू हैं। एक पहलू यह है कि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति या वर्ग नहीं होगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। दूसरा पहलू है "कानून की मशीनरी के माध्यम से, एक अधिक समान समाज लाने का राज्य पर दायित्व... क्योंकि, कानून के समक्ष समानता केवल एक समान समाज में ही सार्थक रूप से समर्पित की जा सकती है..."। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। लेकिन तथ्य यह है कि सभी व्यक्ति स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से समान नहीं हैं, और इसलिए, कानून के समक्ष यांत्रिक समानता के परिणामस्वरूप अन्याय हो सकता है। इस प्रकार, कानून के समान संरक्षण से इनकार के विरुद्ध गारंटी का मतलब यह नहीं है कि समान रूप से कानून के समान नियमों को परिस्थितियों या स्थितियों में अंतर के बावजूद सभी व्यक्तियों पर लागू किया जाना चाहिए (चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ एआईआर 1951 एससी 41 देखें)।

101. विभिन्न वर्गों या वर्गों के लोगों की अलग-अलग ज़रूरतों के लिए विभेदक और अलग उपचार की आवश्यकता होती है। विधायिका को अनंत प्रकार के मानवीय संबंधों से उत्पन्न होने वाली विविध समस्याओं से निपटना आवश्यक है। इसलिए, इसमें आवश्यक रूप से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून बनाने की शक्ति होनी चाहिए और, उस उद्देश्य के लिए, उन व्यक्तियों और चीजों को अलग करने, चुनने और

वर्गीकृत करने की शक्ति होनी चाहिए जिन पर इसके कानून लागू होते हैं। इस प्रकार, कानून की समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि एक ही कानून सभी पर लागू होना चाहिए, बल्कि यह है कि एक कानून को एक वर्ग के सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए; कि समान परिस्थितियों में व्यवहार में समानता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि समान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और असमानों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। समान के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

102. इस प्रकार यह है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है; यह विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेनदेन के उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। वर्गीकरण उचित होने के लिए निम्नलिखित दो परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:

102.1. वर्गीकरण के आधार के रूप में अपनाए गए अंतर का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत या उचित संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना है।

102.2. वर्गीकरण के आधार के रूप में अपनाए गए अंतर का प्रश्नगत संविधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत या युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए।

103. इस प्रकार, अनुच्छेद 14 अपने दायरे और विस्तार में दो पहलुओं को शामिल करता है, अर्थात, यह उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जो युक्तियुक्त अंतर पर आधारित है और समाज की व्यावहारिक आवश्यकताओं को समायोजित करता है और अंतर को प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। इसके अलावा, यह किसी भी प्रकार की मनमानी की अनुमति नहीं देता है और उपचार की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। यह हमारे संविधान की मूल न्यायपीठ, न्याय का स्रोत है। विभेदक व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14

का उल्लंघन नहीं है और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन केवल तभी करता है जब कोई उचित आधार नहीं होता है और यह तय करने के लिए कई परीक्षण होते हैं कि कोई वर्गीकरण उचित है या नहीं और ऐसे परीक्षणों में से एक यह होगा कि क्या यह आधुनिक समाज के कामकाज के लिए अनुकूल है।

109. समानता के सिद्धांत का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कानून का उन सभी व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो स्वभाव, उपलब्धि या परिस्थितियों से एक ही स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए अक्सर अलग-अलग उपचार की आवश्यकता होती है। राज्य को वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को वर्गीकृत करने की अनुमति है। विधानमंडल अपने विवेक का प्रयोग करने और वर्गीकरण करने में भी सक्षम है। वर्तमान परिदृश्य में विवादित कानून ने दो वर्ग बना दिए हैं, एक वर्ग उन व्यक्तियों का जो कर निर्धारिती हैं और दूसरा वर्ग उन व्यक्तियों का जो आयकर निर्धारणकर्ता हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवादित प्रावधान केवल उन लोगों पर लागू होता है जो आयकर रिटर्न दायर कर रहे हैं। इसलिए, एकमात्र प्रश्न यह होगा कि क्या यह वर्गीकरण उचित है या नहीं। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि भेदभाव के लिए उचित आधार है और इसलिए, अनुच्छेद 14 में निहित समान सुरक्षा खंड लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान पर प्रतिबंध लगाता है और कानून के प्रयोजन के लिए उचित वर्गीकरण नहीं है। सभी आयकर निर्धारिती एक वर्ग का गठन करते हैं और आक्षेपित प्रावधान द्वारा उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है।"

42. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस दलील पर बहुत जोर दिया है कि 2020 के विनियम 3 (क) के आक्षेपित दूसरे परंतुक के तहत लाभ के विस्तार की शर्त प्रकृति में पूर्वव्यापी होने के कारण 1956 के अधिनियम की धारा 26(3) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के अधिकार या अर्जित लाभ को समाप्त नहीं किया जा सकता था। उक्त प्रस्तुतिकरण को समझने के लिए, हम 1956 के अधिनियम की धारा

26(3) के प्रासंगिक प्रावधान को उद्धृत करना उचित मानते हैं, जो इस प्रकार है:

> "26. विनियम बनाने की शक्ति— (1) आयोग [राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगा]।,—
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
>)xxxxxxxxx
>
> (2) xxxxxxxxx
>
> [(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त विनियम बनाने की शक्ति [उप-धारा (1) के खंड (i) और खंड (ञ) को छोड़कर] में विनियमों या उनमें से किसी को इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी, लेकिन किसी भी विनियमन को कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा ताकि किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न किया जा सके, जिस पर ऐसा विनियमन लागू हो सकता है।"

43. 1956 के अधिनियम की धारा 26 के तहत विनियम बनाने की शक्ति में, हालांकि 1956 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की तारीख से विनियमों या उनमें से किसी को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल है, लेकिन किसी भी विनियमन को कोई

पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो, जिस पर ऐसा विनियमन लागू हो सकता है।

इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क को उपरोक्त प्रावधान के आलोक में समझा जाना आवश्यक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क यह है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) के एक विशेष वर्ग को इस तरह का लाभ देने और याचिकाकर्ता को विस्तार के ऐसे लाभ से बाहर करने का आशय याचिकाकर्ता को 29.02.2020 के बाद की तारीख तक और यहां तक कि एन.ए.ए.सी. मैनुअल के तहत प्रदान की गई एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत भी आवेदन करने के अधिकार से वंचित करना है । तर्क यह है कि मौजूदा एन.ए.ए.सी. मैनुअल के तहत, याचिकाकर्ता मान्यता के चक्र की समाप्ति से पहले छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर पुनः मान्यता के लिए एन.ए.ए.सी. में आवेदन कर सकता था। आगे यह कहा गया है कि यदि ऐसा आवेदन मान्यता के चक्र की समाप्ति से पहले छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है, तो दो लगातार मान्यता के बीच का अंतर माफ किया जा सकता है। आगे यह तर्क भी दिया गया है कि एन.ए.ए.सी. मैनुअल में यह भी प्रावधान है कि अन्य संस्थानों के मामले में, जिन्होंने दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन नहीं किया है, माफी की अधिकतम अवधि लगातार दो मान्यता चक्रों के बीच एक वर्ष होगी।

44. प्रथमतः, मान्यता चक्र की समाप्ति से पहले छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने का अधिकार नहीं छीना गया है, न ही याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भले ही यह मान लिया जाए कि ऐसा प्रावधान लगातार दो मान्यता चक्रों के बीच अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक आवेदन प्रस्तुतउ करने की अनुमति देने के लिए लागू था। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता का मान्यता स्कोर 4-पॉइंट स्केल पर केवल 2.28 था जो 30 अप्रैल, 2020 तक वैध था। यहां तक कि एन.ए.ए.सी. मैनुअल (रिट याचिका के साथ संलग्न अनुबंध -14) को लागू करने पर भी, यह 2.28 का एन.ए.ए.सी. प्रत्यायन है, जो आगे की अवधि के लिए जारी रहेगा और याचिकाकर्ता मान्यता के चक्र की समाप्ति से पहले छह माह की निर्धारित अवधि के भीतर पुनः मान्यता के लिए आवेदन कर सकता था और यदि ऐसा आवेदन नहीं किया जाता है, तो छूट की अधिकतम अवधि लगातार दो प्रत्यायन चक्रों के बीच एक वर्ष होगी। यह, अधिक से अधिक, याचिकाकर्ता को उसकी 4-पॉइंट स्केल पर 2.28 वर्तमान प्रत्यायन ग्रेडिंग को जारी

रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और इससे अधिक कुछ नहीं। दोहराव की कीमत पर, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि समय-समय पर संशोधित 2017 के विनियमों के तहत, विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) के तहत दूरस्थ शिक्षा) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 के अंतर्गत अपेक्षा 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करने की थी और वह भी शैक्षणिक सत्र के अंत, अर्थात 30.06.2020 तक। इस प्रकार, अगले शैक्षणिक सत्र के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों को आगे जारी रखने के लिए नियमों की अनिवार्य आवश्यकता, जो याचिकाकर्ता सहित सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) पर लागू और प्रवृत्त थी, वह 2020 के नए विनियम होंगे जो 04.09.2020 से प्रभावी हुए। यहां तक कि 2020 के विनियम 3(क) के आक्षेपित दूसरे परंतुक की अनुपस्थिति में भी, याचिकाकर्ता के लिए विधि के तहत शैक्षणिक सत्र, अर्थात 2020-21 में अपने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि यह 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन करने में विफल. 2020 के विनियम 3(क) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान किया गया लाभ उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) की अनुपालनकर्ता श्रेणी के वर्ग तक ही सीमित था, अन्य के लिए नहीं।

45. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि 1956 के अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना दिनांक 21.12.1985 के माध्यम से, यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संस्थानों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 1985 प्रख्यापित किया। इसने यू.जी.सी. को एक परियोजना रिपोर्ट में निर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों के लिए एक स्वायत्त संगठन स्थापित करने या स्थापित कराने की शक्ति प्रदान की। देश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए यू.जी.सी. द्वारा सितंबर, 1994 में बैंगलोर में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) की स्थापना की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है और कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत है। इस प्रकार, एन.ए.ए.सी. द्वारा प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए बनाए गए दिशा-निर्देश/मैनुअल प्रकृति में वैधानिक नहीं हैं। उक्त दिशा-निर्देशों/मैनुअल को उस विनियमन के आदेश के विरुद्ध अधिकार का दावा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है जिसके लिए उच्च शैक्षणिक

संस्थानों (एच.ई.आई.) को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों को जारी रखने की आवश्यकता है कि वे यह शपथ-पत्र दें कि वे शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से पहले अर्थात 30.06.2020 तक 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त कर लेंगे। इस वैधानिक अधिदेश ने याचिकाकर्ता को पात्रता प्राप्त करने के लिए 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 तक प्रत्यायन स्कोर में सुधार के लिए पहले से ही आवेदन करने के लिए बाध्य किया, यदि वह मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रम जारी रखने के इच्छुक था। याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 की वैधता को चुनौती नहीं दी है। इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि 2020 के विनियम 3 (क) के आक्षेपित दूसरे परंतुक में निहित प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से इस तरह से लागू होता है कि यह याचिकाकर्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह अपास्त किए जाने योग्य है।

46. एक बार जब हम मान लेते हैं कि 2020 के विनियम 3 (क) का आक्षेपित दूसरा परंतुक याचिकाकर्ता के पूर्वाग्रह पर कार्य नहीं करता है, लेकिन आक्षेपित परंतुक के लिए, याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र था। विभिन्न निर्णय, जो याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बार में उद्धृत किए गए हैं, याचिकाकर्ता की सहायता के लिए नहीं आते हैं।

47. याचिकाकर्ता के इस आचरण से, कि उसने अपनी एन.ए.ए.सी. ग्रेडिंग में सुधार और 4-बिंदु पैमाने पर 3.26 का एन.ए.ए.सी. स्कोर प्राप्त करने के लिए 29.02.2020 को या उससे पहले एन.ए.ए.सी. में आवेदन नहीं किया था, यह निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता अगले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) कार्यक्रमों की पेशकश जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं था। याचिकाकर्ता ने सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एच.ई.आई.) को एन.ए.ए.सी. को 29.02.2020 को या उससे पहले मान्यता लिए आवेदन करने की अपेक्षा करने वाले यू.जी.सी. के पत्र पर न तो आवेदन किया, न ही उसे चुनौती दी है। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता 29.02.2020 को या उससे पहले आवेदन क्यों नहीं कर सका। इससे स्पष्ट

है कि याचिकाकर्ता या तो इच्छुक नहीं था या पूरी तरह से अकर्मण्य था। ऐसा तभी हुआ जब 2020 के नए विनियमों के तहत, अनुपालनकर्ता संस्थानों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की निरंतरता का विशेष लाभ देने के लिए आक्षेपित दूसरे उपबंध को जोड़ा गया, जिन्होंने अन्यथा तुरंत कार्रवाई की और 29.02.2020 तक आवेदन किया, याचिकाकर्ता ने इसके विरुद्ध शिकायत की। यह ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि 2020 के नए विनियमों के तहत भी, 4-पॉइंट स्केल पर 3.26 की एन.ए.ए.सी.मान्यता की आवश्यकता है, जबकि याचिकाकर्ता का एन.ए.ए.सी. स्कोर केवल 2.28 है। इस प्रकार, किसी भी कोण से देखा जाए, तो याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत की कोई वैधता नहीं है, विधिक आधार तो दूर की बात है।

48. परिणामस्वरूप, 2020 के विनियम 3 के उप-विनियम (क) के दूसरे परंतुक की वैधता को चुनौती निराधार है और इसलिए, वह अपास्त किए जाने योग्य है।

हालाँकि, हमें यह कहने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि यदि इस बीच, याचिकाकर्ता ने 2020 के विनियमों के तहत मौजूदा मानदंडों के अनुसार अपने एन.ए.ए.सी. स्कोर में सुधार पर पात्रता प्राप्त कर ली है, तो यह आदेश मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) मोड में शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए उचित अनुमति प्राप्त करने मे याचिकाकर्ता को बाधित नहीं करेगा।

49. तदनुसार, रिट याचिका को अपास्त किया जाता है।

50. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति (मणींद्र मोहन श्रीवास्तव), कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।